प्रेषक,

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र,
गोरखपुर।

पत्रांकः एस.पी.एम.यू./कम्यु.प्रो./आशा/2016-17/9/7680 दिनांकः 02.12.2016

विषयः रीजनल कोऑर्डिनेटर के कार्य, उत्तरदायित्व एवं वित्तीय दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सामुदायिक प्रक्रियाओं से सम्बन्धित कार्यक्रमों के सुदृढ़ीकरण एवं आशा योजना से सम्बन्धित कार्यक्रमों विशेषकर आशा प्रशिक्षणों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर आशा रिसोर्स सेन्टर की स्थापना की गयी है। इसी क्रम में विभिन्न मण्डलों में आशा योजना एवं कम्युनिटी प्रोसेस अनुभाग से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र पर रीजनल कोऑर्डिनेटरों को तैनात किया गया है।

रीजनल कोऑर्डिनेटर के कार्य एवं उत्तरदायित्व

- आशा कार्यक्रम एवं अन्य सामुदायिक प्रक्रिया के लिए अपने सम्बन्धित जनपदों के लिए सहायक तंत्र का निर्माण करना, बजट एवं कार्ययोजना बनाना।
- कम्युनिटी प्रोसेस के अन्तर्गत होने वाले जिला स्तरीय प्रशिक्षण में प्रशिक्षकों एवं गैर सरकारी संस्था (NGO) के द्वारा दिये गये प्रशिक्षणों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करना एवं प्रशिक्षण को और बेहतर बनाने के लिए सुझाव देना।
- सरकारी दिशा निर्देशों एवं शासनादेशों की उपलब्धता को जिला स्तर पर सुनिश्चित करना।
- जिला स्तर के अधिकारियों का सामयिक प्रशिक्षण सुनिश्चित करना।
- सामुदायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन को मजबूती प्रदान करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी व जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के बीच समन्वय स्थापित करना।
- जिला कम्युनिटी प्रोसेस प्रबंधक एवं ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस प्रबंधक के कार्यों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करना।
- तकनीकी सहयोगात्मक भ्रमण के दौरान जिला स्तरीय अधिकारियों एवं गैर सरकारी संस्था (NGO) सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करना।
- सामुदायिक प्रक्रिया के प्रभावी क्रियान्वयन से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को सहयोग देना।
- क्षेत्रीय स्तर पर जिला कम्युनिटी प्रोसेस प्रबंधक की समीक्षा बैठकों का आयोजन कर समीक्षा कर उचित दिशा-निर्देश प्रदान करना।
- कार्यक्षेत्र में आने वाले समस्त जनपदों के कम्युनिटी प्रोसेस अनुभाग से सम्बन्धित कार्यक्रमों का अनुश्रवण करना एवं तद्नुसार मण्डलीय अपर निदेशक/मण्डलीय परियोजना प्रबन्धकों को सूचित करना।

वित्तीय दिशा-निर्देश

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आर.ओ.पी. वर्ष 2016-17 में एफ.एम.आर कोड B1.1.5.1 के अन्तर्गत रू0 35000/- प्रतिमाह मानदेय हेतु एवं एफ.एम.आर कोड B1.1.5.4 में रीजनल कोऑर्डिनेटर हेतु रू0 500/- इण्टरनेट, रू0 200/- मोबाइल फोन एवं रू0 500/- आफिस एक्पेन्डीचर के लिए प्रतिमाह की दर से तथा रीजनल कोऑर्डिनेटर के भ्रमण हेतु TA/DA/Stay के लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त अनुमोदन के सापेक्ष रीजनल कोऑडिनेटर, गोरखपुर के मानदेय, TA/DA/Stay, इण्टरनेट तथा मोबाइल फोन हेतु कुल धनराशि रू0 370200.00 जिला स्वास्थ्य समिति, गोरखपुर को दिनांक 25.11.2016 को निम्नानुसार अवमुक्त कर दी गई है।

SL	Name of RHFWTC	Salary for RC for 6 months @ Rs. 35000/- per month (B1.1.5.1)	TA/DA/Stay, Mobile, Internet and Office expenses for RC (B1.1.5.4)
1	Gorakhpur	210000	160200

उपरोक्त धनराशि निम्न दिशा–निर्देश के अनुसार व्यय किया जाना है।

1. FMR Code B1.1.5.4 में रीजनल कोऑर्डिनेटर को रू0 500/– इन्टरनेट, रू0 200/– मोबाइल फोन तथा रू0 500/– आफिस एक्पेन्डीचर के लिए प्रतिमाह की दर से वास्तविक व्यय के आधार पर बिल प्रस्तुत करने पर देय होगा।

2. रीजनल कोऑर्डिनेटर के लिए विभिन्न बैठकों में भाग लेने एवं सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु धनराशि निम्न तालिका में दी गयी अधिकतम सीमा तक देय होगी।

Transport Rs. Day/(Air/Railway/bus/Taxi/Local Conveyance)	Per diem (Rs. per day)	Stay (Rs. Per day)	Total Rs.
AC II /AC chair car/bus/Share Taxi Rs. 1500	750	1500	3750

यात्रा व्यय नियमानुसार टिकट आदि उपलब्ध कराने एवं Stay Hotel Bills उपलब्ध कराने पर वास्तविक व्यय के आधार पर ही देय होगा।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रांकः एस.पी.एम.यू./कम्यु.प्रो./आशा/2016–17/9/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
2. वित्त नियंत्रक/समस्त महाप्रबंधक/समस्त उपमहाप्रबंधक, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोरखपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त धनराशि ससमय सम्बन्धित सम्भागीय प्रशिक्षण केन्द्र को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, गोरखपुर।
6. सम्बन्धित रीजनल कोऑर्डिनेटर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

(डा0 राजेश झा)
महाप्रबंधक, कम्यु0प्रो0